(90)

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

क्रमांक / एफ– /

भोपाल, दिनांक

पृ.क्र.-

पिछला	अगला

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
समस्त पुलिस अधीक्षक,

विषयः वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बल एवं शस्त्र प्रयोग के पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 की उपधारा–2 के तहत संरक्षण प्रदान करने बाबत

––00––

वन कर्मचारियों को अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में अतिक्रमण / अवैध कटाई / अवैध उत्खनन / वन्यप्राणी शिकार जैसे प्रकरणों में आत्मरक्षार्थ की गई बल प्रयोग एवं शस्त्र चालन की कार्यवाही के समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–197 की उपधारा–2 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है। (शासन की अधिसूचना दिनांक 28.5.2004)। उपरोक्त के साथ ही इस संबंध में गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 16–266 / लाइसेंस / 96 / बी–(1) दो, दिनांक 11.06.1996 द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वन रक्षक / उससे उच्च वन अधिकारी यदि अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आग्नेय शस्त्र का उपयोग / चालन करते हैं तो ऐसे मामले में वन रक्षक या उससे उच्च अधिकारी के नाम दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में पुलिस तब तक प्रसंज्ञान में नहीं लेगी, जब तक कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित दण्डाधिकारी जांच में यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आग्नेय शस्त्र का उपयोग / चालन अनावश्यक, अकारण अथवा आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने के लिये किया गया है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ प्रकरणों में वन कर्मियों के विरूद्ध एफ. आई.आर. में पुलिस द्वारा बिना दण्डाधिकारी जांच के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं।कर्तव्यनिष्ठ वन कर्मियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है एवं वन संरक्षण एवं सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं में भी यह प्रकरण शामिल है तथा मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 3.5.2012 में भी ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। ।

अतः वन कर्मचारियों के विरूद्ध बिना दण्डाधिकारी जांच के कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने एवं पूर्व में पंजीबद्ध प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक में प्रतिमाह ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जाना आवश्यक है। इस विषय को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की प्रत्येक माह होने वाली बैठक के दौरान होने वाली समीक्षा में शामिल किया जाकर चर्चा की जावे ताकि वन कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–197 की उपधारा–2 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जा सके।

प्रमुख सचिव (वन)

पृ.क्रमांक / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः 1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), म.प्र.
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, म.प्र.

प्रमुख सचिव (वन)

विषयः वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बल एवं शस्त्र प्रयोग के पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 की उपधारा–2 के तहत संरक्षण बाबत

वन कर्मचारियों को अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में अतिक्रमण/अवैध कटाई/ अवैध उत्खनन जैसे प्रकरणों में आत्मरक्षार्थ की गई बल प्रयोग की कार्यवाही के समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–197 के अतर्गत सुरक्षा प्राप्त है (शासन की अधिसूचना दिनांक 28.5.2004)। उपरोक्त के साथ ही इस संबंध में गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 16–266/लाइसेंस/96/बी–(1) दो, दिनांक 11.06.1996 द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वन रक्षक/ उससे उच्च वन अधिकारी यदि अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आग्नेय शस्त्र का उपयोग/चालन करते हैं तो ऐसे मामले में वन रक्षक या उससे उच्च अधिकारी के नाम दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में पुलिस तब तक प्रसंज्ञान में नहीं लेगी, जब तक कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेशित दण्डाधिकारी जांच मे यह सिद्ध नही हो जाता कि आग्नेय शस्त्र का उपयोग/चालन अनावश्यक, अकारण अथवा आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने के लिये किया गया है।

उपरोक्तानुसार विधिक प्रावधान एवं शासन आदेशों के बावजूद कुछ प्रकरणों मे वन कर्मियो के विरूद्ध एफ.आई.आर. मे पुलिस द्वारा बिना दण्डाधिकारी जांच के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे कुछ प्रकरणों की सूची संलग्न है। कर्तव्यनिष्ठ वन कर्मियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है एवं वन संरक्षण एवं सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होती है।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, वन द्वारा पत्र दिनांक 1.9.2010, अशासकीय टीप दिनांक 23.9.2010 एवं 6.5.2011 से प्रमुख सचिव, गृह विभाग को लेख किया गया है। अपर मुख्य सचिव, वन के निर्देश दिनांक 27.9.2010 के अनुसार समस्त कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 के अंतर्गत वन विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिये संरक्षण कक्ष के पत्र क्र. /एफ–12/4154 दिनांक 5.10.2010 से लेख किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं में भी यह प्रकरण शामिल है तथा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक

विषयःवन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बल एवं शस्त्र प्रयोग के पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 की उपधारा–2 के तहत संरक्षण बाबत

पूर्व पृष्ठ से....

3.5.2012 में भी ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः वन कर्मचारियों के विरूद्ध बिना दण्डाधिकारी जांच के कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने एवं पूर्व में पंजीबद्ध प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक में प्रतिमाह ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जाना आवश्यक है। अतः इस विषय को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की प्रत्येक माह होने वाली बैठक के दौरान होने वाली समीक्षा में शामिल किया जाकर चर्चा की जावे ताकि वन कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 की उपधारा 2 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जा सके।

तदनुसार शासन स्तर से समस्त कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है। इस हेतु समस्त कलेक्टर/ पुलिस अधीक्षक, म.प्र. को शासन स्तर से जारी किये जाने वाले पत्र का प्रारूप नस्ती में रखा गया है।

कृपया उपरोक्त प्रकरण में उचित निर्णय एवं कार्यवाही हेतु नस्ती शासन को अंकित करना चाहेंगे।

[signature] 16/5/12

(टी.आर. शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

U.O. No/PA/215
Dt 16/5/12

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) की टीप से सहमत। शासन स्तर से समस्त जिला कलेक्टर्स तथा पुलिस अधीक्षकों को भेजे जाने हेतु प्रस्तावित परिपत्र का प्रारूप भी संलग्न है।

[signature]
17.5.2012
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

प्रमुख सचिव, वन

F.S/2381
17/05/12

No./PA/PCCF 1834
Date 16/5/12